( अहकाम

01

GGMS
2021/1
28/9/2022

# फर्द अहकाम

(नियम 13)

अज अदालत तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी  बनाम  श्री लक्ष्मण चन्द-पोथाराम जीनगर (मोची) ढेवरचन्द

हलका सिणधरी  पुत्र श्री धन्नाराम जाति कुम्हार

निवासी– सिणधरी-चारणान

**किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 01/वर्ष 2021**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज | हुक्म और तारीख तामिल की |
|---|---|---|
| 09-02-2021 | पटवारी हलका सिणधरी ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत 2077 में मौजा सिणधरी-चारणान के खसरा नंबर 04 रकबा 54 वर्ग गज किस्म भूमि गै. मु. गोचर पर नाजायज अतिकमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावें। पत्रावली दिनांक 17-2-2021 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर | लखमाराम<br>ढेवरचन्द |
| 17-2-2021 | पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल ने जवाब हेतु समय चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 22-2-2021 को पेश हो। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर | |
| 22-2-2021 | पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल ने उपस्थित होकर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। गैर सायल को अतिक्रमी मानते हुए पत्रावली फैसल सुमार हो। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। | |

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

(देखिये नियम 13)

# नोटिस

## राजसथान भू राजसव अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत

## न्यायालय तहसीलदार सिणधरी

प्रकरण सं. 01/2021 संवत् 2077 सन् 2021

राज्य सरकार बजरिये पटवारी सिणधरी बनाम लक्ष्मण वल्द चौथाराम कौम जीनगर (मोची)
खेतचन्द वल्द हनजाराम कुम्हार
निवासी सिणधरी चारणान

पटवारी हलका सिणधरी ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया है आपने संवत् 2074 में मौजा सिणधरी चारणान के खसरा नं. 04 किस्म भूमि गै. मु. गोचर रकबा 152-07 बीघा में से 54 वर्ग गज बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है।

इसके द्वारा आपको नोटिस दिया जाता है कि आप दिनांक 17-2-2021 से पूर्व भूमि खाली कर दे अथवा स्वयं या प्लीडर द्वारा दिनांक 17-2-2021 को 10.30 बजे पूर्वान्ह अदालत हाजिर होवें तथ हैतुक दर्शित करे कि आपको वहां से बेदखल क्यों नहीं किया जावे। आपसे यह हैतु दर्शित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि उक्त भूमि पर उक्त प्रकार विधि विरूद्ध किये गये अतिक्रमण के लिये विधि सम्मत शास्ति क्यों न अधिरोपण की जावे। आपसे यह दर्शित करने के आपको तीन माह तक की अवधि के लिये क्यों नहीं सिविल कारावास सुपुर्द कर दिया जावे, वार्षिक लगान का निर्धारण जैसी भी स्थिति हो के 50 गुणा तक की शास्ति सदमय करने की अपेक्षा की जाती है।

यह भी ध्यान रहे कि उक्त तारीख समय तथा स्थान पर हाजिर होने में आपके असफल रहने पर उक्त मामला आपके गैर हाजिर होने में, आपके असफल रहने पर उक्त मामला आपकी गैर हाजरी में निश्चित किया जायेगा।

आज दिनांक 10-2-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(मुद्रा: न्यायालय तहसीलदार सिणधरी (बाड़मेर))

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर